न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 120/2018

RCMS Case No. 2018/00153

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

बनाम

अप्रार्थी:—

1. कानाराम पुत्र चुनीलाल जाति मेघवाल निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:: आदेश ::—

दिनांक 14/8/2018

प्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सरदारपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 188/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 59 थे, जो भू—प्रबन्ध से पूर्व तालाब दर्ज थी। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटमेन्ट उक्त भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थी के पिता की खातेदारी दर्ज की गई है, जिसका भू—प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है। चूंकि इस भूमि कि किस्म तालाब थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अतः ग्राम सरदारपुरा के गत खसरा नम्बर 59 से वर्तमान खसरा नम्बर 188 तहरीर करते वक्त अप्रार्थी के पिता चुनीलाल पुत्र गणेश कौम मेघवंशी के नाम दर्ज किए गए इन्द्राज को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 188/1 की किस्म पुनः तलाब दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सरदारपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 188/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर किस्म बा0अ0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 59 तालाब दर्ज था, जो सरकारी खाते में दर्ज था। वक्त भू—प्रबन्ध, सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा गत रेकर्ड से नया रेकर्ड तहरीर करते समय गत खसरा नम्बर 59 से वर्तमान खसरा नम्बर 188 तहरीर किया गया, जिसमें उक्त भूमि कि किस्म तलाव से परिवर्तित कर बारानी अव्वल दर्ज करते हुए अप्रार्थी के पिता चुनीलाल पुत्र गणेश कौम मेघवंशी के नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दी, जिसका भू—प्रबन्ध अधिकारी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। चूंकि उक्त भूमि के मूल

अति. जिला कलेक्टर, पाली

खसरा नम्बर 59 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला/तलाब आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ बिना किसी आदेश के दर्ज प्रविष्ठि को नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर तालाब दर्ज की जानी हैं। अतः भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पिता के पक्ष में किया गया इन्द्राज विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा गत खसरा नम्बर 59 से वर्तमान खसरा नम्बर 188 तहरीर करते समय अप्रार्थी के पिता चुनीलाल पुत्र गणेश कौम मेघवंशी के नाम दर्ज किए गए इन्द्राज को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 188/1 की किस्म पुनः तलाब दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली